



SIMBHAOLI SUGARS

Ref: SSL/Stock Exchange/NP/2025-26

Date: January 16, 2026

To,

The Corporate Relations Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai Fax No. 022-22721072/2037	The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Mumbai- 400051 Fax No. 022-26598237/38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ref: Scrip Code: BSE: 539742 ; NSE: SIMBHALS

Sub: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024

Dear Sir/Ma'am,

This is in reference to the announcement made by the Company on December 31, 2025 regarding Temporarily disrupted operations due to breakdown of 8MW Turbine of Power Unit at Brijnathpur U.P. Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations read with Para-B of Part-A of Schedule III of Listing Regulations and Clause 6.2 of SEBI Circular SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/0155 dated November 11, 2024.

This announcement is in reference to enclosed order.

This is for your information and record.

Thanking You.

Yours Faithfully,
For **SIMBHAOLI SUGARS LIMITED**

(Jagriti Sharma)
Company Secretary & Compliance Officer
M. No.: F11456

Encl. as above

Simbhaoli Sugars Limited

(An FSSC22000: version 6.1, ISO9001/ISO9001: 2015&14001:2015 Certified Company)
Registered Office: Simbhaoli, Distt. Hapur, Uttar Pradesh, 245207 | Tel: 0120-4132077
GSTIN: 09AAPCS7569A2ZU | PAN: AAPCS7569A | CIN: L15122UP2011PLC044210
E-mail: info@simbhaolisugars.com | www.simbhaolisugars.com

Specialty Sugars

Potable Alcohol

Ethanol

Power

आदेश


जिला गन्ना अधिकारी, हापुड़ ने अपने कार्यालय पत्र संख्या : 3209-10/क्रय/कैम्प/मेरठ/सुरक्षण/2026, दिनांक 10.01.2026 द्वारा चीनी मिल सिम्भावली शुगर्स लि., यूनिट-बृजनाथपुर, जिला-हापुड़ के टरबाइन में आई तकनीकी खराबी के कारण चीनी मिल का संचालन न होने के दृष्टिगत इस चीनी मिल द्वारा संचालित 05 गन्ना क्रय केन्द्रों क्रमशः कांवी, महमूदपुर/सुजानपुर, दस्तोई/गोयना द्वितीय, बदनौली/कस्तला द्वितीय एवं चमरी को वर्तमान पेराई सत्र की अवशेष अवधि हेतु सामयिक गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली अन्य निकटवर्ती चीनी मिलों को आवंटित करने की संस्तुति प्रेषित की गयी है। प्रश्नगत पत्र में यह भी उल्लिखित है कि दिनांक 29.12.2025 को रात्रि में चीनी मिल बृजनाथपुर की टरबाइन में तकनीकी खराबी आने के कारण चीनी मिल का संचालन न होने के दृष्टिगत चीनी मिल मवाना के तकनीकी जी.एम. के साथ भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चीनी मिल बृजनाथपुर की टरबाइन का पंखा टूटा हुआ पाया गया जिसको ठीक कराने हेतु Don Bosco Institute of Technology, Gate No. 2, Near Sukhdev Vihar Metro Station, New Delhi को भेजे जाने एवं जॉब आर्डर के अनुसार 15 जनवरी, 2026 तक मरम्मत कार्य पूर्ण होने की सूचना प्रेषित की गई है। इसके साथ ही यह भी संज्ञानित कराया गया है कि दिनांक 15.01.2026 तक टरबाइन ठीक होकर आ जाने के उपरान्त भी इसके सुचारु रूप से संचालन में 04-05 दिन और लगने की सम्भावना है।

जिला गन्ना अधिकारी, हापुड़ के प्रश्नगत प्रस्ताव के विश्लेषणोपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि चीनी मिल बृजनाथपुर की टरबाइन में तकनीकी खराबी आने के कारण चीनी मिल का संचालन नहीं हो पा रहा है। अतः क्षेत्रीय कृषकों के गन्ने के सामयिक निस्तारण हेतु बृजनाथपुर चीनी मिल क्षेत्र के कतिपय गन्ना क्रय केन्द्रों को त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली अन्य निकटवर्ती चीनी मिल को आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के आलोक में जिला गन्ना अधिकारी, हापुड़ की संस्तुति एवं क्षेत्रीय गन्ना कृषकों के गन्ने की सामयिक खपत इत्यादि के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त उ.प्र. गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-15 एवं उ.प्र. गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-22 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिम्भावली शुगर्स लि., यूनिट-बृजनाथपुर, जिला-हापुड़ द्वारा संचालित 05 गन्ना क्रय केन्द्रों क्रमशः कांवी, महमूदपुर/सुजानपुर, दस्तोई/गोयना द्वितीय, बदनौली/कस्तला द्वितीय एवं चमरी को वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 की अवशेष अवधि हेतु चीनी मिल मैसर्स बिन्दल्स पेपर्स मिल्स लि., चांगीपुर, जिला-बिजनौर को आवंटित किया जाता है।

अग्रेतर प्रश्नगत क्रय केन्द्रों के आपूर्तिकर्ता कृषकों से उनके गन्ने की खरीद चीनी मिल मैसर्स बिन्दल्स पेपर्स मिल्स लि., चांगीपुर, जिला-बिजनौर की परिधियों पर की जायेगी तथा देय गन्ना मूल्य, अंशदान, लेबर, गन्ना परिवहन आदि का समस्त भुगतान भी चीनी मिल मैसर्स बिन्दल्स पेपर्स मिल्स लि., चांगीपुर, जिला-बिजनौर द्वारा ही वहन किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे तथा वर्तमान पेराई सत्र 2025-26 की शेष अवधि हेतु ही मान्य होंगे।


(मिनिस्ती एस.)

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश
एच.ए.

कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

पत्र संख्या : 1096/सी/क्रय/सुरक्षण/80/2025-26/दिनांक : 12.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवगतार्थ।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
3. अपर गन्ना आयुक्त (समितियाँ), मुख्यालय।
4. सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त।
5. सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।
6. सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी।
7. सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त।
8. अध्यासी, सम्बन्धित चीनी मिलें।


(विश्वेश कनौजिया)
अपर गन्ना आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना आयुक्त, उ.प्र.
एच.ए.